

हुक्म

3/12/19 पत्रावली पेश हुई। वकूलाय अनुपस्थित।
न्यायालय समय में बार-बार आवेजें
लगाई गईं। उसके उपरान्त भी कोई
दाजिर नहीं हुए। ~~प्र. मामला~~ समय
समाप्त हो चुका है। पक्षकारानु के
दाजिर नहीं होने की वजह से वाद
अदम दाजरी अदम जैसी से खारिज
किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर
नम्बर से कम की जाकर दाखिल
दफ्तर है।

न्यायक कलेक्टर. घोषणा

